


143

न्यायालय श्रीमान पीठसोन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल कैम्प

रौवा म.प्र.



R-22-11/12

730
8.11.12

श्री के.के. पाण्डेय
स.प.दादा (99)
08.11.12

दिनांक 22-11-12
म.प्र. राजस्व-मंडल
जलसू 1
22-11-12

- 1. राजमणि सिंह तनय श्री चूडा मणि सिंह उम्र 75 वर्ष,
 - 2. रामभान सिंह तनय श्री ~~रामनिरंजन तनय श्री रामनिरंजन सिंह~~ उम्र 35 वर्ष
 - 3. रामजियामन सिंह तनय श्री रामेश्वर सिंह उम्र 65 वर्ष
 - 4. रामबली सिंह तनय रामेश्वर सिंह उम्र 55 वर्ष
- तथो निवासी गण भमरा, तह. सेमरिया, जिला-रौवाम.प्र.

--- निगरानोक्तगण

बनाम

हरिप्रकाश पाण्डेय तनय स्व. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय उम्र 60 वर्ष
निवासी ग्राम भमरा, तह. सेमरिया, जिला-रौवाम.प्र.

--- गैर निगरानोक्तगण

निगरानो विरुद्ध सीमांकन रा.प्र.क्र.54 /अ-12

107-08 में पारित आदेश दि.17.8.12

निगरानो अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा.सं
सन् 1957 ई.

मान्यवर,

आवेदन के संक्षिप्त आधार निम्नलिखित है:-

- 1. यहाँक आ.छ.क्र. ⁷⁴³ 743 / 3.70, ⁷⁴² 499 / 0.56, ⁷⁵² 752 / 2.80,
⁷⁵³ 753 / 0.11, 956 / 0.81 ए. कुल कित्ता 5, ग्राम भमरा, तह. सेमरिया

रामबली सिंह क्रमशः.


रजा. क.प. हस्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.22-II/13

जिला-रीवा

राजमणि सिंह/हरिप्रकाश पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	